न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा)

प्रकरण संख्याः— 581/2025

दायर दिनांकः— 08.10.2025

उनवान

रामरतन बनाम तहसीलदार निवाई

प्रार्थी की और से :— श्री सरोज अग्रवाल एडवोकेट

अप्रार्थी की और से :—पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत— अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि —1956

निर्णय

दिनांक 26/11/2025

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा—128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 602, 605, 606, 608, 610, 626, 627, 641, 644/1, 646, 652, वाके ग्राम बनस्थली पटवार हल्का बनस्थली तहसील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार निवाई ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया है। पैरोकार सरकार ने सीधे बहस का निवेदन किया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा —128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तथा प्रार्थना—पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा—काश्त हो तो प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 602, 605, 606, 608, 610, 626, 627, 641, 644/1, 646, 652, वाके ग्राम बनस्थली पटवार हल्का बनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। पत्थर गढी से पूर्व तहसीलदार निवाई सम्बिधत पक्षकारो को यथासंभव सूचित करेंगे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय दिनांक 26/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(प्रीति मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

निवाई जिला टोंक